

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 4/2019

बउनवान

1. कृष्णमुरारी आयु 49 वर्ष पुत्र रामलाल काछी निवासी सांगोद तह.सांगोद जिला कोटा
2. बृजमोहन आयु 52 वर्ष पुत्र रामलाल काछी निवासी सांगोद तह.सांगोद जिला कोटा
3. पुष्पाबाई आयु 55 वर्ष पुत्री रामलाल पत्नि प्रभूलाल काछी निवासी सांगोद तह.सांगोद
4. अयोध्याबाई बेवा बद्रीलाल काछी निवासी सांगोद तह. सांगोद जिला कोटा
5. जितेन्द्र उम्र 24 वर्ष पुत्र बद्रीलाल काछी निवासी सांगोद तह. सांगोद जिला कोटा
6. कमलेश उम्र 31 वर्ष पुत्र बद्रीलाल काछी निवासी सांगोद तह. सांगोद जिला कोटा

(अपीलांट)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ
2. भंवरलाल पुत्र अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ
3. मांगीलाल पुत्र अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ
4. बरदीबाई पुत्री अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ
5. नारायणी पुत्री अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ
6. कल्लीबाई बेवा अमरलाल काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ (मृतक)
7. घांसीलाल पुत्र कजोड काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ
8. भागचन्द पुत्र कजोड काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ
9. गजानन्द पुत्र जमनालाल सोनी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरुद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 343 दि. 11.12.2000

अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :- 1. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अपीलांट)

2. श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

क्रम. 1,2,3,4,5,7,8

निर्णय दिनांक 25.09.2019

अपीलांट द्वारा जर्जे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 343 दिनांक 11.12.2000 ग्राम टोडी से अप्रसन्न होकर विरुद्ध रेस्पोडेन्टगण के अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 01.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल संबधित मूल पत्रावली को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1,2,3,4,5,7,8 जर्जे अभिभाषक उपस्थित हुये ओर रेस्पोडेन्ट क्रम 9 अनुपस्थित रहे है ओर क्रम 10 परोकार सरकार उपस्थित रह है। प्रकरण मे सर्वप्रथम उभयपक्ष की लिमिटेशन के बिन्दु पर बहस सुनी जाकर, लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कहा गया कि ग्राम टोडी तहसील छबडा मे खसरा नम्बर 290 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। जो राजस्व कागजात मे अमरलाल, घासीलाल पुत्रगण कजोड हिस्सा 1/6, 1/6 तथा भागचन्द पुत्र कजोड हिस्सा 1/24 जाति काछी के नाम दर्ज थी। यह नाम इन्तकाल नम्बर 338 से आये है जो दिनांक 5.7.2000 को ग्राम टोडी का तस्दीक हुआ है। इन्तकाल नम्बर 338 मे गोपीबाई पुत्री कजोड, अमरलाल घासीलाल पुत्र कजोड का 3/8 हिस्सा था, गोपीबाई को फोट बताकर उसका हिस्सा भी अमरलाल, घासीलाल, भागचन्द ने अपने नाम दर्ज करवा लिया एवं यह लिखवा दिया कि गोपीबाई के केवल भाई है, कोई संतान नही है। उस इन्तकाल की अपील अपीलांट ने पृथक से माननीय न्यायालय मे पेश कर दी है जबकि गोपीबाई के वारिस अपीलांट है। इस कारण जब इन्तकाल नम्बर 338 ही शून्य है तो इन्तकाल नम्बर 343 दिनांक 11.12.2000 शून्य अपने आप हो जाता है। क्योकि इस इन्तकाल नम्बर 343 मे गोपीबाई का हिस्सा जो भाईयो के नाम आया उसमे से भागचन्द ने अपना हिस्सा 1/24 जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामे से गजानन्द पुत्र जमनालाल सोनी के नाम बेचान कर दिया। जबकि भागचन्द का नाम ही गलत दर्ज हुआ था। इस कारण उसके द्वारा किया गया बेचान प्रारम्भ से ही शून्य था।

यह कि गोपीबाई मूल निवासी सांगोद जिला कोटा की रहने वाली थी। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका सांगोद का पेश है। जिसमे गोपीबाई के पति का नाम रामलाल उसकी माँ का नाम बिशनीबाई व पिता का नाम कजोड है। इससे यह स्पष्ट है कि मृतक गोपीबाई अपीलांट की माता थी तथा उसके फोट होने पर उसका फोती इंतकाल नम्बर 338 दिनांक 5.7.2000 को खोला गया है। जो खिलाफ कानून है तथा इसी इंतकाल के बाद जो इन्तकाल नम्बर 343 दिनांक 11.12.2000 को खोला गया है, वह स्वतः ही शून्य हो जाता है तथा भागचन्द को अपना हिस्सा बेचने का अधिकार नही था।

यह कि अपीलांट के पिता रामलाल पुत्र भंवरिया काछी मूल रूप से सांगोद के रहने वाले है तथा सांगोद तहसील मे ग्राम पामलाखेडी मे भी रामलाल पुत्र भंवरया काछी जो अपीलांट के पिता है, के नाम भूमियां है तथा पामलाखेडी की भूमियो का इन्तकाल भी अपीलांट के नाम खोला गया है। यह कि भागचन्द ने अपना हिस्सा गजानन्द पुत्र जमनालाल सोनी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामे से बेचान किया है। जो खिलाफ कानून है क्योकि भागचन्द का नाम ही गलत दर्ज हुआ है। यह कि चूंकि इन्तकाल नम्बर 338 की अपील माननीय न्यायालय मे पेश कर दी गयी है। इस कारण अब इन्तकाल नम्बर 343 की अपील पेश करना भी आवश्यक हो गया है। जिसमे सभी पक्षकारो को पक्षकार बनाया गया है।

अपीलांट को इन्तकाल नम्बर 343 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.3.2019 को हुयी जब पटवारी हल्का ने हमे बताया कि तुम्हारी माँ की जमीन तो बेचान हो चुकी है। तब अपीलांट ने दिनांक 5.3.2019 को नकल के लिये प्रार्थना पत्र लगाया व दिनांक 5.3.2019 को नकल मिली। इस कारण तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। दिनांक 11.12.2000 से 4.3.2019 तक की अवधि जानकारी के अभाव मे कन्डोन फरमायी जावे। इसके लिये दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन व शपथ पत्र पृथक से पेश कर दिया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 343 दिनांक 11.12.2000 ग्राम टोडी तहसील छबडा निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोंडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 343 दिनांक 11.12.2000 ग्राम टोडी तहसील छबडा न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप सही खोला गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा उक्त इन्तकाल की अपील 18 वर्ष बाद काफी विलम्ब से, बिना उचित कारण बताये प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट को निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया समस्त रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा इन्तकाल नंबर 343 दिनांक 11.12.2000 ग्राम टोडी तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्गे विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

उक्त इंतकाल की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और लिमिटेशन के बिन्दु पर उभयपक्ष की सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर, लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, ही प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को न्याय के विधिक सिद्धान्तों के अनुरूप सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाना पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल नम्बर 343 दिनांक 11.12.2000 ग्राम टोडी तहसील छबडा निरस्त किया जाता है और तहसीलदार छबडा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मुताबिक वंशवृक्ष पुनः नए सिरे से वारिसान की जाँच मजमे आम में/ग्राम पंचायत की बैठक में चर्चाकर की जावे। इस निर्देश के साथ इन्तकाल नम्बर 343 दिनांक 11.12.2000 का प्रचलन निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर, बारों

